



## कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक: F-37/Dir(P)/LOP/2014/ ५५२

दिनांक :- २६/८/१४

### ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 21.07.2014 का कार्यवाही विवरण

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित ले-आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 21.07.2014 को प्रातः 11.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया :—

- |   |            |
|---|------------|
| 1. श्रीमती अजरा परवीन, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।                | सदस्य      |
| 2. श्रीमती सुनिता पंकज, उपायुक्त (पूर्व एवं पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य      |
| 3. श्री छोगाराम देवासी, उपायुक्त (उत्तर व दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण   | सदस्य      |
| 4. श्री ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक (अभियान्त्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण    | सदस्य      |
| 5. श्री अनिल माथुर, निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण                 | सदस्य सचिव |

इसके अतिरिक्त श्री पी.आर. वेनीवाल, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर भी उपरिथित थे। समिति के समक्ष निम्नलिखित ले-आऊट प्लान प्रस्तुत किया गया एवं समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये :—

1. राजस्व ग्राम मोगड़ा के खसरा नम्बर 142 व 295 की रकवा 601-12 बीघा भूमि में से रकवा 336 भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र अनुमोदन के सम्बन्ध में।  
आवेदक :- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

राजस्व ग्राम मोगड़ा के खसरा नम्बर 142 व 295 की रकवा 601-12 बीघा भूमि में से रकवा 336 भूमि जोधपुर मास्टर प्लान-2023 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित रही है, जिसका राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिदर्तन समिति की 116 वीं बैठक, दिनांक 06.04.2011 में परिधि नियन्त्रण पट्टी से वहुउद्देशीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। प्रश्नगत भूमि जोधपुर-पाली सड़क के पश्चिम में स्थित है, परन्तु वर्तमान में पाली सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित

316

खसरा नम्बर 142 भूमि का ही योजना मानचित्र अनुमोदित किया जाना है। जोधपुर मास्टर प्लान में जोधपुर-पाली सड़क का मार्गाधिकार 200' प्रस्तावित किया गया है एवं राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा उक्त सड़क के दोनों तरफ 100'-100' चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है। प्राधिकरण की वैठक, दिनांक 23 अप्रैल, 2012 के प्रस्ताव संख्या 3(4) में राजस्व ग्राम भोगड़ा खुर्द है। खसरा नम्बर 142 की रकवा 370 बीघा भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर एवं ऑटोमोबाईल नगर विकसित किये जाने की योजना को सेंट्रान्टिक रूपीकृति प्रदत्त की गई। उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे का ट्रांसपोर्ट नगर प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र पूर्व में अनुमोदित किया गया था, परन्तु नौके पर डिमाकेशन के दौरान मौका स्थिति में भिन्नता के कारण पुनः संसोधन हेतु योजना मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

तहसीलदार (राजस्व), लूणी तथा प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के आधार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। जिला कलक्टर, जोधपुर के कार्यालय पत्रांक प.12(3)-राज/जोविप्रा/आवं./10/9607, दिनांक 28.10.2010 द्वारा उक्त खसरान् की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गई है। आवेदक का स्वामित्व वैद्य है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रश्नगत भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में पाली सड़क के सहारे-सहारे की भूमि पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आउवा-सालावास उत्पाद पाईप लाईन परियोजना) की पाईप लाईन डाली जानी प्रस्तावित है। उक्त पाईप लाईन के मार्गाधिकार का योजना मानचित्र में अंकन कर दिया गया है। उक्त पाईप लाईन के मार्गाधिकार पर योजना मानचित्र में 100' चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को समस्त सुरक्षा मानदण्डों की सुनिश्चितता हेतु बाध्य किया जावे। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर जोधपुर-पाली सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 100' भूमि छोड़े जाने के उपरान्त उक्त सड़क के दोनों तरफ 100' चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि छोड़े जाने तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आउवा-सालावास उत्पाद पाईप लाईन परियोजना) की पाईप लाईन हेतु समस्त सुरक्षा मानदण्डों की सुनिश्चितता की शर्त पर आवेदित भूमि का ट्रांसपोर्ट नगर एवं ऑटोमोबाईल नगर प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। चूंकि उक्त योजना का क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर से अधिक है, अतः भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2011 व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्गमीटर से अधिक का निर्माण करने से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निदेशक (अभियान्त्रिकी) को निर्देशित किया गया।

2. राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 269 की रकवा 30 बीघा भूमि पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र अनुमोदन के सम्बन्ध में।  
आवेदक :— सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

जोधपुर मास्टर प्लान-2023 के अनुसार राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 269 की रकवा 30 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित रही है, जिसका राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की वैठक क्रमांक 118, दिनांक 22.07.2011 में आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तहसीलदार (राजस्व), लूपी तथा प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के आधार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। जिला कलबटर, जोधपुर द्वारा उक्त खसरान की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण हो प्रस्तान्तरित की गई है। आवेदक का स्वामित्व वैद्य है।

निदेशक (आयोजना) द्वारा नवीन योजना मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर जोधपुर-पाली सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 100' भूमि छोड़े जाने, प्रश्नगत भूमि के दक्षिण दिशा में प्रस्तावित फेसिलिटी हेतु आरक्षित भूमि के दक्षिण दिशा में विवेक विहार आवासीय योजना की प्रस्तावित 200' चौड़ी सड़क, फेसिलिटी के उत्तर दिशा में विवेक विहार आवासीय योजना में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क एवं प्रश्नगत भूमि के उत्तरी भाग में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि छोड़े जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अनुरूप भवन निर्माण के प्रावधान उक्त भूखण्डों पर लागू होंगे।

### 3. सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना के अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन यावत्।

राजस्व ग्राम वासनी मालियान में प्राधिकरण की सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना का योजना मानचित्र अनुमोदित किया जाकर भूखण्डों का नीलामी के माध्यम से वेचान किया गया है। मौके पर डिमारकेशन के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त योजना के कुछ भूखण्ड समीपीय नाड़ी के केचमन्ट एरिया एवं पानी के आवक के क्षेत्र में आ गये हैं।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.04.2012 के प्रस्ताव संख्या 10 में सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना में नाड़ी के केचमेन्ट एरिया एवं पानी के आवक के क्षेत्र में स्थित भूखण्डों का चिन्हीकरण कर उन्हें उसी योजना में अन्यत्र प्रतिस्थापित किया जावे।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना के अनुमोदित योजना मानचित्र के सुपर इम्पोजिशन की कार्यवाही सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा करवा दी गई है एवं योजना के योजना मानचित्र में तदानुसार संशोधन कर दिये गये हैं। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर कार्नर के भूखण्ड यथावत रखते हुए निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप संशोधित योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

31/2

4. राजस्व ग्राम भवाद के खसरा नम्बर 45, 45/1 व 45/2 की रकवा 48 बीघा 11 विस्ता भूमि पर फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र अनुमोदन के सम्बन्ध में।  
 आवेदक :— श्रीमती मधु सैन पल्लि श्री भैराम सैन

राजस्व ग्राम भवाद के खसरा नम्बर 45, 45/1 व 45/2 की रकवा 48 बीघा 11 विस्ता भूमि जोधपुर मास्टर प्लान-2023 के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। आवेदित भूमि जोधपुर से उम्मेद नगर से नागौर रोड को मिलाने वाली लिंक सड़क पर स्थित है। पूर्ववर्ती अनुमोदित योजनाओं में उक्त सड़क का मार्गाधिकरण 160' निर्धारित किया गया है। प्रेषित ले-आउट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सरकारी भूमि का आवंटन किया जाना उचित नहीं होगा। वेहतर तो यह है कि सम्बन्धित तहसीलदार से उक्त क्षेत्र में स्थित सरकारी भूमि का विवरण मंगवाया जावे। यदि उक्त क्षेत्र में सरकारी भूमि एकल रूप में उपलब्ध हो तो उक्त भूमि पर प्राधिकरण की योजना बनाई जाकर भूखण्डों का निष्पादन नीलामी के माध्यम से किया जावे एवं यदि सरकारी भूमि के मध्य में निजी खातेदारी भूमि आती है, तो उसका नियमानुसार अधिग्रहण किया जावे। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सम्बन्धित तहसीलदार को उक्त क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी भूमि का विवरण उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया एवं प्रश्नगत प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय वाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

5. राजस्व ग्राम भवाद के खसरा नम्बर 290/36/1 की रकवा 2 बीघा भूमि पर फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र अनुमोदन के सम्बन्ध में।  
 आवेदक :— श्री रामअवतार

राजस्व ग्राम भवाद के खसरा नम्बर 290/36/1 की रकवा 2 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। आवेदित भूमि जोधपुर से उम्मेद नगर से नागौर रोड को मिलाने वाली लिंक सड़क पर स्थित है। पूर्ववर्ती अनुमोदित योजनाओं में उक्त सड़क का मार्गाधिकरण 160' निर्धारित किया गया है। प्रेषित ले-आउट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य

है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप जोधपुर से उम्मेद नगर से नागौर रोड़ को मिलाने वाली लिंक सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 80' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले-आउट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

6. राजस्व ग्राम भवाद के खसरा नम्बर 701 की रकवा 10 वीघा 19 विस्वा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री धनाराम पुत्र श्री कपूराराम मेघवाल

प्रकरण संख्या :- 144/14

राजस्व ग्राम भवाद के खसरा नम्बर 701 की रकवा 10 वीघा 19 विस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से वाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। आवेदित भूमि भवाद गांव से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 को मिलाने वाली सड़क के उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित हैं। प्रेषित ले-आउट प्लान पर अभीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आउट प्लान का तकनीकी परीक्षण नगर नियोजन सहायक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हैं, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप भवाद गांव से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 को मिलाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की

310

शर्त पर आवेदित भूमि का ले—आऊट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं भौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय वावत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

7. राजस्व ग्राम भवाद के खसरा नम्बर 671/1 की रकवा 5 बीघा 19 विस्वा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— श्री बाबूलाल पुत्र श्री मोडाराम जरिये आम मुख्यार श्रीमती प्रेमलता पत्नि श्री पुखराज

प्रकरण संख्या :— 145/14

राजस्व ग्राम भवाद के खसरा नम्बर 671/1 की रकवा 5 बीघा 19 विस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से याहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक—प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। आवेदित भूमि भवाद गांव से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 को मिलाने वाली सड़क के उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित हैं। प्रेषित ले—आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले—आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण नगर नियोजन सहायक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। भौके पर भूमि रिक्त हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप भवाद गांव से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 को मिलाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले—आऊट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। चूंकि फार्म हाऊस एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अतः 500 वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। पट्टा जारी करने

से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय वायत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

8. राजस्व ग्राम मणाई के खसरा नम्बर 51/1 व 51/2 की रकवा 30 बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले—आजट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :— श्री कालूराम, श्री कोजाराम वगैराह।  
प्रकरण संख्या :— 140/14

राजस्व ग्राम मणाई के खसरा नम्बर 51/1 व 51/2 की रकवा 30 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक—प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। आवेदित भूमि मणाई गांव जाने वाली सड़क के पश्चिम दिशा में अन्दर की ओर स्थित है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमि (खसरा नम्बर 50) की भूमि में से आवेदित भूमि को 40 फीट चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने वायत् समीपीय भूमि के स्वामी द्वारा समर्पणनामा प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि के उत्तर-पूर्व कोने पर विद्युत हाईटेंशन लाईन विद्यमान है। प्रेषित ले—आजट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले—आजट प्लान का तकनीकी परीक्षण नगर नियोजन सहायक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हैं, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिव्त हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप आवेदित भूमि की समीपीय भूमि (खसरा नम्बर 50) की भूमि में से आवेदित भूमि को 40 फीट चौड़े पहुँच मार्ग हेतु प्रस्तुत समर्पणनामा के अनुसार 40' चौड़े पहुँच मार्ग की मौके पर सुनिश्चितता एवं उक्त-रास्ते को खसरा मानचित्र में दर्शाये जाने की शर्त पर मध्यनजर आवेदित भूमि को राजस्व प्रयोजनार्थ ले—आजट प्लान रखीकृत करने का निर्णय लिया गया। रास्ते हेतु समर्पित भूमि को राजस्व मानचित्र में दर्शित किया जावेगा एवं उक्त रास्ता आम रास्ता होगा। प्रार्थी की भूमि के उत्तर-पूर्वी भाग में विद्युत हाईटेंशन लाईन विद्यमान है, उक्त विद्युत हाईटेंशन लाईन को ले—आजट प्लान में दर्शित करते हुए इनके नीचे 60' चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। विद्युत हाईटेंशन लाईन के दोनों तरफ राजस्थान भवन विनियम-2010 (संशोधित) (जयपुर को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरों एवं भिवाड़ी के लिए) या इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी कोड के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दूरी, जो भी के सहारे—सहारे स्थित भूखण्डों पर पर्याप्त सेटबैक्स रखे जावे, ताकि विद्युत लाईन से किसी प्रकार की होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष

के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

9. राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 156 की रकवा 6 बीघा 14 विस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :— श्री ओमाराम पुत्र श्री केवराम।  
प्रकरण संख्या 26 ए/13

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 156 की रकवा 6 बीघा 14 विस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों का ले-आऊट प्लान पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिनमें से प्रस्तावित सड़कों से आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अभीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का ऊपर नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि समिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप आवेदित भूमि के दक्षिणी-पूर्वी भाग में समीपीय भूमि से एप्रोच हेतु प्राप्त होने वाले रास्ते का मार्गाधिकार 40' रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि छोड़ी जाते हुए प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी की भूमि में विद्युत हाईटेंशन लाईन विद्यमान है, उक्त विद्युत हाईटेंशन लाईन को ले-आऊट प्लान में दर्शित करते हुए इनके नीचे 60' चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। विद्युत हाईटेंशन लाईन के दोनों तरफ राजरथान भवन विनियम-2010 (संशोधित) (जयपुर को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरों एवं भिवाड़ी के लिए) या इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी कोड के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दूरी, जो भी अधिक हो के अनुसार खड़ी दूरी एवं क्षेत्रिज दूरी छोड़ी जानी होगी। इसके साथ-साथ विद्युत लाईन के सहारे-सहारे स्थित भूखण्डों पर पर्याप्त सेटबैक्स रखे जावे, ताकि विद्युत लाईन से किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना नहीं हो। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

3/12

10. राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 155 की रकवा 8 बीघा 12 विस्ता भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :— श्री ओमाराम पुत्र श्री केवराराम।  
प्रकरण संख्या 26 / 13

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 155 की रकवा 8 बीघा 12 विस्ता भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों का ले—आऊट प्लान पूर्व में ले—आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिनमें से प्रस्तावित सड़कों से आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। प्रेषित ले—आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अनीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले—आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार—विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप आवेदित भूमि के उत्तर—पश्चिमी भाग में समीपीय भूमि से एप्रोच हेतु प्राप्त होने वाले रास्ते का मार्गाधिकार 40' रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि छोड़ी जाते हुए प्रश्नगत भूमि का ले—आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी की भूमि में विद्युत हाईटेंशन लाईन विद्यमान है, उक्त विद्युत हाईटेंशन लाईन को ले—आऊट प्लान में दर्शित करते हुए इनके नीचे 60' चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। विद्युत हाईटेंशन लाईन के दोनों तरफ राजस्थान भवन विनियम—2010 (संशोधित) (जयपुर को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरों एवं भिवाड़ी के लिए) या इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी कोड के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दूरी, जो भी अधिक हो के अनुसार खड़ी दूरी एवं क्षेत्रिज दूरी छोड़ी जानी होगी। इसके साथ—साथ विद्युत लाईन के सहारे—सहारे स्थित भूखण्डों पर पर्याप्त सेटबैक्स रखे जावे, ताकि विद्युत लाईन से किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना नहीं हो। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कञ्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

11. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 770/230, 771/230 की रकवा 3 बीघा 5 विस्ता भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :— श्री अशोक बाहेती  
प्रकरण संख्या 26 / 13

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 770/230, 771/230 की रकवा 3 बीघा 5 विस्ता भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि जयपुर—जैसलमेर वाईपास सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में

जयपुर-जैसलमेर वाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200' निर्धारित किया गया है एवं राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा उक्त वाईपास सड़क के दोनों तरफ 75'-75' चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का एकल पट्टा विलेख प्रदत्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अभीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। भौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप जोधपुर मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुरूप जयपुर-जैसलमेर सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100' भूमि छोड़े जाने के उपरान्त राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 75'-75' चौड़ी भू-पट्टी वृक्षारोपण हेतु छोड़े जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। वृक्षारोपण पट्टी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य अनुज्ञेय नहीं होगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं भौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जाये।

12. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 226/1 की रकवा 3 बीघा 3 विस्ता 10 विस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— श्रीमती विमला लोढ़ा।

प्रकरण संख्या 34/14

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 226/1 की रकवा 3 बीघा 3 विस्ता 10 विस्वांसी भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि जयपुर-जैसलमेर वाईपास सड़क के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है। आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्वी भाग में 30' चौड़ी सड़क विद्यमान है। जोधपुर मास्टर प्लान में जयपुर-जैसलमेर वाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200' निर्धारित किया गया है एवं राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा उक्त वाईपास सड़क के दोनों तरफ 75'-75' चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का एकल पट्टा विलेख प्रदत्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अभीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

3/11/2023

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व दैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवासि में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप जोधपुर मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुरूप जयपुर-जैसलमेर सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100' भूमि छोड़े जाने के उपरान्त राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 75'-75' चौड़ी भू-पट्टी वृक्षारोपण हेतु छोड़े जाने एवं उक्त क्षेत्र में बेहतर सड़क प्रतिरूप विकसित किये जाने के मध्यनजर उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित 30' चौड़ी सड़क को योजना मानचित्र में दर्शाये अनुसार 40' रखे जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का ले-आजट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। वृक्षारोपण पट्टी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य अनुज्ञेय नहीं होगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम रत्तर से निर्माण स्थीकृति प्राप्त की जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

13. राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 421/51 की रकबा 02 बीघा 16 विस्या भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आजट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— श्री देवीसिंह एवं श्री धूड़सिंह

प्रकरण संख्या 189/13

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 421/51 की रकबा 02 बीघा 16 विस्या भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि की समीपीय भूमियों के योजना मानचित्र पूर्व में ले-आजट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किये गये हैं। उक्त भूमि की समीपीय भूमि का एक भूखण्ड, प्रार्थी द्वारा क्य किया जाकर 40' चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने हेतु समर्पित किया गया है। प्रेषित ले-आजट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले-आजट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व दैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवासि में भी, नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक आयोजना द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप प्रश्नगत भूमि का ले-आजट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु समर्पित भूखण्ड को रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जावे और यह आम रास्ता

होगा। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुंच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बावत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

14. राजस्व ग्राम बावरला के खसरा नम्बर 774 की रकवा 1 बीघा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— श्री श्यामलाल पुत्र श्री छोगाराम

प्रकरण संख्या :— 171 / 14

राजस्व ग्राम बावरला के खसरा नम्बर 774 की रकवा 1 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि एन.एच. 112 से बावरला जाने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में मुख्य सड़क पर स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक—प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू—उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार—विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप एन.एच. 112 से बावरला जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 50' भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले—आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। प्रश्नगत भूखण्ड पर रीको/ जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 द्वारा जारी प्रावधानों के अनुरूप (दोनों में से जो भी अधिक हो) न्यूनतम सेटदैक छोड़े जाने के उपरान्त भूखण्ड में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र/निर्माण कार्य 20 प्रतिशत ही अनुज्ञेय होगा। प्रस्तावित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्तर्गत विद्यमान है, अतः उक्त भूमि पर प्रस्तावित कृषि आधारित लघु उद्योग की भावना के अनुरूप प्रदूषण मुक्त हो, कि सुनिश्चितता के लिये आवेदक से शपथ—पत्र लिया जावे, जिससे इस क्षेत्र का इकोलोजिकल बैलेंस (ECOLOGICAL BALANCE) सुनिश्चित हो सके। प्रकरण में न्यूनतम निर्माण कार्य की शर्त पर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे तथा नियमानुसार कृषि आधारित लघु उद्योग वातावरण मैत्री (ENVIRONMENT FRIENDLY) हो, सुनिश्चित किया जावे।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानों की भावना के अनुरूप “कृषि आधारित लघु उद्योग” हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः हीं निरस्त मानी जावेगी। साथ ही

उक्त भूमि पर प्रस्तावित "कृषि आधारित लघु उद्योग" सक्षम विभाग द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ही हैं, यह सुनिश्चित किया जावे तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा "कृषि आधारित लघु उद्योग" बाबत जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए प्रकरण पर किसी भी कार्यवाही से पूर्व इस बाबत राज्य सरकार से आवश्यक रूप से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं भौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पहुँच मार्ग हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

15. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 119/3 की रकवा 2.06.08 वीघा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले—आजट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— श्री जालाराम पुत्र श्री पदमाराम भील

प्रकरण संख्या :— 18/13

राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 119/3 की रकवा 2 वीघा 6 विस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि बोरानाडा—सालावास सड़क के पश्चिम दिशा में मुख्य सड़क पर स्थित है। पूर्ववर्ती अनुमोदित योजना में बोरानाडा—सालावास सड़क का मार्गाधिकार 160' निर्धारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि के पश्चिमी भाग में राजस्व रास्ता स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक—प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू—उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। भौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार—विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप बोरानाडा—सालावास सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 80' भूमि एवं पश्चिम दिशा में स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 30' भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले—आजट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम रत्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। प्रश्नगत भूखण्ड पर रीको/ जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 द्वारा जारी प्रावधानों के अनुरूप (दोनों में से जो भी अधिक हो) न्यूनतम सेटदेंक छोड़े जाने के उपरान्त भूखण्ड में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र/निर्माण कार्य 20 प्रतिशत ही अनुज्ञेय होगा। प्रस्तावित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी

के अन्तर्गत विद्यमान हैं,- अतः उक्त भूमि पर प्रस्तावित कृषि आधारित लघु उद्योग की भावना के अनुरूप प्रदूषण मुक्त हो, कि सुनिश्चितता के लिये आवेदक से शपथ-पत्र लिया जावे, जिससे इस क्षेत्र का इकोलोजिकल बैलेंस (ECOLOGICAL BALANCE) सुनिश्चित हो सके। प्रकरण में न्यूनतम निर्माण कार्य की शर्त पर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे तथा नियमानुसार कृषि आधारित लघु उद्योग वातावरण मैत्री (ENVIRONMENT FRIENDLY) हो, सुनिश्चित किया जावे।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानो की भावना के अनुरूप “कृषि आधारित लघु उद्योग” हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः हीं निरस्त मानी जावेगी। साथ ही उक्त भूमि पर प्रस्तावित “कृषि आधारित लघु उद्योग” सक्षम विभाग द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ही हैं, यह सुनिश्चित किया जावे तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा “कृषि आधारित लघु उद्योग” बाबत जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए प्रकरण पर किसी भी कार्यवाही से पूर्व इस बाबत् राज्य सरकार से आवश्यक रूप से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

पट्टा जारी-करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पहुँच मार्ग हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

16. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 141 की रकवा 5 बीघा 7 विस्वा 10 विस्वांसी भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्रीमती नीलकमल, श्री अनिल शर्मा, श्री अजय शर्मा

प्रकरण संख्या :- 38/14

राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 141 की रकवा 5 बीघा 7 विस्वा 10 विस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत भूमि के पूर्व दिशा में स्थित भूमियों का योजना मानवित्र पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें से प्रस्तावित 60' चौड़ी सड़क से आवेदित भूमि का पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प. 10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 03.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप आवेदित भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के

रूप है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। प्रश्नगत भूखण्ड पर रीको/ जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 द्वारा जारी प्रावधानों के अनुरूप (दोनों में से जो भी अधिक हो) न्यूनतम सेटबैक छोड़े जाने के उपरान्त भूखण्ड में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र/निर्माण कार्य 20 प्रतिशत ही अनुज्ञेय होगा। प्रस्तावित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्तर्गत विद्यमान है, अतः उक्त भूमि पर प्रस्तावित कृषि आधारित लघु उद्योग की भावना के अनुरूप प्रदूषण मुक्त हो, कि सुनिश्चितता के लिये आवेदक से शपथ-पत्र लिया जावे, जिससे इस क्षेत्र का इकोलोजिकल बैलेंस (ECOLOGICAL BALANCE) सुनिश्चित हो सके। प्रकरण में न्यूनतम निर्माण कार्य की शर्त पर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे तथा नियमानुसार कृषि आधारित लघु उद्योग वातावरण मैत्री (ENVIRONMENT FRIENDLY) हो, सुनिश्चित किया जावे।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानों की भावना के अनुरूप “कृषि आधारित लघु उद्योग” हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः हीं नियमानुसार इसकी उक्त भूमि पर प्रस्तावित “कृषि आधारित लघु उद्योग” सक्षम विभाग द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ही हैं, यह सुनिश्चित किया जावे तथा इस वावत राज्य सरकार द्वारा “कृषि आधारित लघु उद्योग” वावत जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए प्रकरण पर किसी भी कार्यवाही से पूर्व इस वावत् राज्य सरकार से आवश्यक रूप से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पहुँच सम्बन्धित उपायुक्त को-निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय वावत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

17. राजस्व ग्राम तिवंरी के खसरा नम्बर 200/4 की रकवा 01 बीघा 7 विस्ता भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— श्री नारायण सिंह पुत्र श्री रूपसिंह वर्गेराह।

प्रकरण संख्या :— 77/13

राजस्व ग्राम तिवंरी के खसरा नम्बर 200/4 की रकवा 01 बीघा 7 विस्ता भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से वाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत भूमि घेवड़ा से तिवंरी नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक—प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिवत है।

31/2

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप तिवंरी से घेवड़ा जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि एवं भूमि के उत्तरी भाग में स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। प्रश्नगत भूखण्ड पर रीको/ जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 द्वारा जारी प्रावधानों के अनुरूप (दोनों में से जो भी अधिक हो) न्यूनतम सेटबैक छोड़े जाने के उपरान्त भूखण्ड में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र/निर्माण कार्य 20 प्रतिशत ही अनुज्ञेय होगा। प्रस्तावित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्तर्गत विद्यमान है, अतः उक्त भूमि पर प्रस्तावित कृषि आधारित लघु उद्योग की भावना के अनुरूप प्रदूषण मुक्त हो, कि सुनिश्चितता के लिये आवेदक से शपथ-पत्र लिया जावे, जिससे इस क्षेत्र का इकोलोजिकल बैलेंस (ECOLOGICAL BALANCE) सुनिश्चित हो सके। प्रकरण में न्यूनतम निर्माण कार्य की शर्त पर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे तथा नियमानुसार कृषि आधारित लघु उद्योग वातावरण मैत्री (ENVIRONMENT FRIENDLY) हो, सुनिश्चित किया जावे।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानों की भावना के अनुरूप “कृषि आधारित लघु उद्योग” हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः हीं निरस्त मानी जावेगी। साथ ही उक्त भूमि पर प्रस्तावित “कृषि आधारित लघु उद्योग” सक्षम विभाग द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ही हैं, यह सुनिश्चित किया जावे तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा “कृषि आधारित लघु उद्योग” बाबत जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए प्रकरण पर किसी भी कार्यवाही से पूर्व इस बाबत राज्य सरकार से आवश्यक रूप से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पहुँच मार्ग हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

18. राजस्व ग्राम तिवंरी के खसरा नम्बर 266/5 की रकवा 04 बीघा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री मोहनराम पुत्र श्री सालूराम मेघवाल

प्रकरण संख्या :- 38/13

राजस्व ग्राम तिवंरी के खसरा नम्बर 266/5 की रकवा 04 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत भूमि तिवंरी से ओंसिया जाने

वाली सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि / 3 / 04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि समिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप तिवंरी से ओसिंया जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 80' भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम रूप से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। प्रश्नगत भूखण्ड पर रीको/ जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 द्वारा जारी प्रावधानों के अनुरूप (दोनों में से जो भी अधिक हो) न्यूनतम सेटबैक छोड़े जाने के उपरान्त भूखण्ड में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र/निर्माण कार्य 20 प्रतिशत ही अनुज्ञेय होगा। प्रस्तावित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्तर्गत विद्यमान है, अतः उक्त भूमि पर प्रस्तावित कृषि आधारित लघु उद्योग की भावना के अनुरूप प्रदूषण मुक्त हो, कि सुनिश्चितता के लिये आवेदक से शपथ-पत्र लिया जावे, जिससे इस क्षेत्र का इकोलोजिकल बैलेंस (ECOLOGICAL BALANCE) सुनिश्चित हो सके। प्रकरण में न्यूनतम निर्माण कार्य की शर्त पर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे तथा नियमानुसार कृषि आधारित लघु उद्योग वातावरण मैत्री (ENVIRONMENT FRIENDLY) हो, सुनिश्चित किया जावे।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानो की भावना के अनुरूप “कृषि आधारित लघु उद्योग” हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः हीं निरस्त मानी जावेगी। साथ ही उक्त भूमि पर प्रस्तावित “कृषि आधारित लघु उद्योग” सक्षम विभाग द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ही हैं, यह सुनिश्चित किया जावे तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा “कृषि आधारित लघु उद्योग” बाबत जारी समर्त दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए प्रकरण पर किसी भी कार्यवाही से पूर्व इस बाबत् राज्य सरकार से आवश्यक रूप से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पहुँच मार्ग हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

अभी

19. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 551/2 की रकवा 1 बीघा 8 विस्वा भूमि का होटल प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
 आवेदक :— श्रीमती कमला भीणा एवं श्रीमती जीवन्ती भीणा  
 प्रकरण संख्या :— 190/2013

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 551/2 की रकवा 1 बीघा 8 विस्वा भूमि होटल प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200' निर्धारित किया गया है एवं राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा उक्त बाईपास सड़क के दोनों तरफ 75'-75' छौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का एकल पट्टा विलेख प्रदत्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप जोधपुर मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुरूप जयपुर-जैसलमेर सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100' भूमि छोड़े जाने के उपरान्त राज्य स्तरीय छोड़े जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का होटल प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। वृक्षारोपण पट्टी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य अनुज्ञेय नहीं होगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

20. राजस्व ग्राम झंवर के खसरा नम्बर 1307/1 की रकवा 00-15 बीघा भूमि का सर्विस स्टेशन प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
 आवेदक :— श्री मदन कुमार सिन्हा पुत्र श्री उमेशचन्द्र सिन्हा  
 प्रकरण संख्या :— 106/14

राजस्व ग्राम झंवर के खसरा नम्बर 1307/1 की रकवा 00-15 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से वाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा एच.पी.सी.एल. पाईन हेतु सर्विस स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि झंवर-लूणावास खारा जाने वाले रास्ते के दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर स्थित है।

30/11/2013

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप झंवर-लूणावास खारा जाने वाले रास्ते के दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि छोड़े जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का एच.पी.सी.एल. पाईन हेतु-सर्विस स्टेशन का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम रूप से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानों की भावना के अनुरूप "एच.पी.सी.एल. पाईन सर्विस स्टेशन" हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः हीं निरस्त मानी जावेगी। साथ ही उक्त सर्विस स्टेशन हेतु भारत सरकार के गैस एवं पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी एवं निर्धारित समस्त सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पहुँच मार्ग हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

21. राजस्व ग्राम गेलावास के खसरा नम्बर 126/1 की रकवा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि का सर्विस स्टेशन प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री एचपीसीएल मितलल पाईपलाईन्स जरिये श्री मदन कुमार सिन्हा पुत्र श्री उमेशचन्द्र सिन्हा

प्रकरण संख्या :- 39/14

राजस्व ग्राम गेलावास के खसरा नम्बर 126/1 की रकवा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा एच.पी.सी.एल. पाईन हेतु सर्विस स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत भूमि वाडमेर-जोधपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112) सड़क के दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में वाडमेर-जोधपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112) सड़क का मार्गाधिकार 200' निर्धारित किया गया है एवं उक्त सड़क के दोनों तरफ 100'-100' चौड़ी दृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का एकल पट्टा विलेख प्रदत्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व

30/1

वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवासि में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप जोधपुर मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुरूप बाड़मेर-जोधपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112) सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100' भूमि छोड़े जाने के उपरान्त 100'-100' चौड़ी भू-पट्टी वृक्षारोपण हेतु छोड़े जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का एच.पी.सी.एल. पाईन हेतु सर्विस स्टेशन का ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। वृक्षारोपण पट्टी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य अनुज्ञेय नहीं होगा। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानों की भावना के अनुरूप "एच.पी.सी.एल. पाईन सर्विस स्टेशन" हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः हीं निरस्त मानी जावेगी। साथ ही उक्त सर्विस स्टेशन हेतु भारत सरकार के गैस एवं पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी एवं निर्धारित समर्त सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पहुँच मार्ग हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय वावत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

22. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 335/भी/2 की रकवा 3150 वर्गमीटर भूमि का आतिशायाजी गोदाम प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- मैसर्स लक्ष्मी फायर वर्क्स जरिये भागीदार मनोज।

प्रकरण संख्या 200/13

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 335/भी/2 की रकवा 3150 वर्गमीटर भूमि परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिसका प्राधिकरण की वैठक, दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 में प्रस्ताव संख्या 2 (11) में लिये गये निर्णयानुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी से आतिशायाजी के गोदाम हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। प्रश्नगत भूमि सालावास से भाण्डूकला सड़क के दक्षिण में प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। प्रेषित ले-आउट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आउट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि समिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवासि में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

3/11/2

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विनर्श कर प्राधिकरण की बैठक, दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 में प्रस्ताव संख्या-2 (11) में लिये गये निर्णयानुसार भूखण्ड के आगे सङ्क सितार हेतु निःशुल्क 20 फीट भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का ले—आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी को केन्द्रीय सरकार के बाणिज्यिक एवं औद्योगिक भवालय तथा उप मुख्य नियन्त्रक, जयपुर से अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच भाग एवं भौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

23. राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 752 की रकवा 3 धीधा भूमि का आवासीय (गुप्त हाऊसिंग) प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— श्रीमती शैलेशनन्दनी पत्नि श्री रामेश्वर जी

प्रकरण संख्या :— 108 / 2014

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 752 की रकवा 3 धीधा भूमि आवासीय (गुप्त हाऊसिंग) प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि जयपुर-जैसलमेर वाईपास सङ्क के पश्चिम दिशा में स्थित है। प्रश्नगत भूमि के उत्तर दिशा में पूर्ववर्ती अनुमोदित योजना में प्रस्तावित 40' चौड़ी सङ्क एवं दक्षिणी भाग में अर्फँडेवल हाऊसिंग स्कीम को जाने वाली 100' चौड़ी सङ्क स्थित हैं। जोधपुर मास्टर प्लान में जयपुर-जैसलमेर वाईपास सङ्क का मार्गाधिकार 200' निर्धारित किया गया है एवं राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा उक्त वाईपास सङ्क के दोनों तरफ 75'-75' चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का एकल पट्टा विलेख प्रदत्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रेषित ले—आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले—आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई दिवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। भौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विनर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप जोधपुर मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुरूप जयपुर-जैसलमेर सङ्क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सङ्क के मध्य से 100' भूमि छोड़े जाने के उपरान्त राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 75'-75' चौड़ी भू-पट्टी वृक्षारोपण हेतु छोड़े जाने, पूर्ववर्ती अनुमोदित योजना की 40' चौड़ी सङ्क के मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि तथा अर्फँडेवल हाऊसिंग स्कीम को जाने वाली 100' चौड़ी सङ्क के मार्गाधिकार हेतु सङ्क के मध्य विन्दु से 50' भूमि छोड़े जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का आवासीय (गुप्त हाऊसिंग) प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। वृक्षारोपण पट्टी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य अनुज्ञेय नहीं होगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण

(जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं भौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

24. राजस्व ग्राम बांगा के खसरा नम्बर 787/2 की रकवा 1376 वर्गगज भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आजट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्रीमती मुन्नी देवी।

प्रकरण संख्या 78/13

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम बांगा के खसरा नम्बर 787/2 की रकवा 1376 वर्गगज भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि रेलवे लाईन के पूर्व दिशा में स्थित है। प्रश्नगत भूमि को उत्तर दिशा में स्थित कच्चे रास्ते से पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का एकल पट्टा विलेख प्रदत्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रेषित ले-आजट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अनीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आजट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। भौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा -प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप कच्चे रास्ते का मार्गाधिकार न्यूनतम 40' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 20' भूमि छोड़े जाने के उपरान्त प्रश्नगत भूमि का ले-आजट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं भौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

25. राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 95 की रकवा 31 वीघा 10 विस्वा 14 विस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आजट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- मैसर्स इन्हा सह. कृषि फार्म जरिये भागीदार श्री प्रकाश जैन एवं श्रीमती आकांक्षा जैन

प्रकरण संख्या 35/14

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 95 की रकवा 31 वीघा 10 विस्वांसी भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर एस.एस.डबल्यू.एस. केनाल के दक्षिण दिशा में केनाल के सहारे-सहारे स्थित 100' चौड़ी सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित हैं। प्रेषित ले-आजट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अनीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का

प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले—आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि समिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवासि में भी नहीं है। भौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनानुसार एस.एस.डबल्यू.एस. केनाल के दक्षिण दिशा में केनाल के सहारे—सहारे स्थित सड़क का मार्गाधिकार (एस.एस.डबल्यू.एस. केनाल का मार्गाधिकार छोड़ जाने के उपरान्त) 100' रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि छोड़ी जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त योजना का क्षैत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियों के लिये भूखण्डों का आरक्षण किया गया है, जिनका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना है। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं भौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कल्पा-प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय यावत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

26. राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 349/2 व 349/3 की रकवा 11 बीघा 10 विस्ता भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— श्री महेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल व श्रीसाम पुत्र श्री मोहनलाल

प्रकरण संख्या :— 2/14

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 349/2 व 349/3 की रकवा 11 बीघा 10 विस्ता भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि के दक्षिणी—पश्चिमी भाग में एस.एस.डबल्यू.एस. केनाल स्थित है। प्रश्नगत भूमि के दक्षिणी—पूर्वी भाग में स्थित समीपीय भूमि का योजना मानचित्र पूर्व में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें प्रस्तावित सड़कों से आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रेषित ले—आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले—आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण वरिष्ठ प्रारूपकार जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया।

तहसीलदार (राजस्व), लूपी तथा प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के आधार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि समिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवासि में भी नहीं है। भौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनानुसार एस.एस.डबल्यू.एस. केनाल के दक्षिण दिशा में केनाल के सहारे—सहारे स्थित सड़क का मार्गाधिकार (एस.एस.डबल्यू.एस. केनाल का मार्गाधिकार छोड़ जाने के उपरान्त) 100' रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि छोड़ी

जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

27. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1096/1601 के व्लॉक संख्या 7/5 की रकवा 2 बीघा 9 विस्वा 10 विस्वांसी भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— श्री पदमराज अव्यानी पुत्र श्री पुखराज अव्यानी।

प्रकरण संख्या 41/14

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1096/1601 के व्लॉक संख्या 7/5 की रकवा 2 बीघा 9 विस्वा 10 विस्वांसी भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि को 40' चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रेषित ले—आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि समिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवासि में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित नियमानुसार औद्योगिक संपरिवर्तन हेतु भूमि को न्यूनतम 60' चौड़ी सड़क से मार्गाधिकार उपलब्ध होना अनिवार्य है। प्रश्नगत भूमि का मात्र 40' चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रकरण को आवश्यक पहुँच मार्ग के अभाव में निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

28. राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा नम्बर 42/4/6 की रकवा 5 बीघा 9 विस्वा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— श्री सुनिल जैन पुत्र श्री पी.के. जैन।

प्रकरण संख्या 43/14

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा नम्बर 42/4/6 की रकवा 5 बीघा 9 विस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि को 40' चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रेषित ले—आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि समिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवासि में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

30/12

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण चाहा गया है एवं मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप प्रश्नगत भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है, अतः औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किया जाना तकनीकी रूप से उद्धित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रकरण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

29. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 163, 163/1, 162, 169, 169/1, 165 की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— गार्ड पत्रावली

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 17.06.1999 से पूर्व का है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त रियायतों के अनुरूप उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कोई छूट प्रदत्त नहीं की गई है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार—विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा नवीन दिशा—निर्देश प्राप्त होने तक प्रकरण स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

30. राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 135 की रक्खा 27.02 बीघा में से 14 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— गार्ड पत्रावली

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 17.06.1999 से पूर्व का है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त रियायतों के अनुरूप उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कोई छूट प्रदत्त नहीं की गई है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार—विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा नवीन दिशा—निर्देश प्राप्त होने तक प्रकरण स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

31. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 264/1/2 की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— गार्ड पत्रावली

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 17.06.1999 से पूर्व का है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त रियायतों के अनुरूप उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कोई छूट प्रदत्त नहीं की गई है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार—विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा नवीन दिशा—निर्देश प्राप्त होने तक प्रकरण स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

30/6

32. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 166 व 166/1 की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :— गार्ड पत्रावली

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 17.06.1999 से पूर्व का है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त रियायतों के अनुरूप उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कोई छूट प्रदत्त नहीं की गई है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार—विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा नवीन दिशा—निर्देश प्राप्त होने तक प्रकरण स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

33. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 6/4 व 11 की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :— गार्ड पत्रावली

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 17.06.1999 से पूर्व का है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त रियायतों के अनुरूप उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कोई छूट प्रदत्त नहीं की गई है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार—विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा नवीन दिशा—निर्देश प्राप्त होने तक प्रकरण स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

34. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 775/46, 775/47, 775/49, 775/72, 775/68 व 775/71 की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :— गार्ड पत्रावली

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 17.06.1999 से पूर्व का है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त रियायतों के अनुरूप उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कोई छूट प्रदत्त नहीं की गई है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार—विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा नवीन दिशा—निर्देश प्राप्त होने तक प्रकरण स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

35. राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा नम्बर 1 पार्ट व 2 पार्ट की रकवा 20 बीघा 6 विस्ता भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :— मैसर्स सन आर्ट एक्सपोर्ट जरिये मागीदारान् श्री मुकेश जैन पुत्र श्री मदनलाल।  
प्रकरण संख्या 162/14

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा नम्बर 1 पार्ट व 2 पार्ट की रकवा 20 बीघा 6 विस्ता भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रेषित ले—आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अनीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर फैक्ट्री भवन निर्मित है एवं औद्योगिक इकाई संचालित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड पर भवन विनियमों के विपरीत निर्माण निर्माण कर लिया है एवं भवन निर्माण अनुमति नहीं ली है। उक्त तथ्य के मध्यनजर प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय वायत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

36. राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा नम्बर 1062/358, 1064/359, 1063/358 व 1062/359 की रक्वा 24 बीघा 18 विस्ता भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— श्री केवलराम पुत्र श्री भीयाराम वगैराह।

प्रकरण संख्या :— 212/2013

राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा नम्बर 1062/358, 1064/359, 1063/358 व 1062/359 की रक्वा 24 बीघा 18 विस्ता भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक—प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञाय हैं। आवेदित भूमि जोधपुर—पाली सड़क के पूर्व दिशा में स्थित हैं। जोधपुर मास्टर प्लान में जोधपुर—पाली (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65) सड़क का मार्गाधिकार 200' निर्धारित किया गया है एवं उक्त सड़क के दोनों तरफ 100'-100' चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है। प्रेषित ले—आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले—आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण नगर नियोजन सहायक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हैं, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार—विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप जोधपुर मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुरूप जोधपुर—पाली (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65) सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100' भूमि छोड़े जाने के उपरान्त 100'-100' चौड़ी भू—पट्टी वृक्षारोपण हेतु छोड़े जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का फार्म हाऊस का अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम

क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं भौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय वाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

37. राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 602/6 रकवा 10 वीघा 6.66 विस्ता भूमि में से 0-10-6.66 वीघा भूमि का गैस गोदाम प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक: श्री सुखाराम पुन्न श्री राजूराम।  
प्रकरण संख्या : 167 /2014

राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 602/6 रकवा 10 वीघा 6.66 विस्ता भूमि में से 0-10-6.66 वीघा भूमि जोधपुर नास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा गैस गोदाम प्रस्तावित किया गया है। आवेदित भूमि जोधपुर-जोधपुर सड़क के दक्षिण दिशा में अन्दर की ओर स्थित है। प्रश्नगत भूमि को अनियोजित रूप से विकसित अनाधिकृत भूखण्डों में प्रस्तावित सड़कों से एपोच उपलब्ध होती है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (35)नविवि/3/2010 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 03.10.2012 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में गैस गोदाम अनुज्ञेय उपयोग है। प्रेषित ले-आउट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आउट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व देय है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवास्ति में भी नहीं है। भौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विभर्ष कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप प्रश्नगत भूमि का गैस गोदाम प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। गैस गोदाम स्थापना में इण्डियन रोड कंग्रेस/एमओआरटीएच./भवन विनियमों के मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी। गैस गोदाम स्थापना से पूर्व जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 के प्रावधानों के अनुरूप सक्षम स्तर पर भवन मानचित्र स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। गैस गोदाम हेतु निर्धारित समरत सुरक्षा मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त निर्णय वाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे। उक्त निर्णय वाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

38. राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा नम्बर 47/3 व 49 की रकवा 10 बीघा 18 विस्वा 10 विस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आजट प्लान अनुमोदन।  
 आवेदक :— श्री बाबूराम पुत्र श्री जोगाराम एवं श्री किशन पुत्र श्री लच्छीराम।  
 प्रकरण संख्या 173/14

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा नम्बर 47/3 व 49 की रकवा 10 बीघा 18 विस्वांसी भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर जोधपुर से खारड़ा रणधीर जाने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित हैं। पूर्ववर्ती अनुमोदित योजनाओं में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 120' रखा गया है। प्रेषित ले-आजट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अभीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आजट प्लान का नगर नियोजन सहायक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। भौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप जोधपुर से खारड़ा रणधीर जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 60' भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आजट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं भौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

39. राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा नम्बर 100 की रकवा 01 बीघा 01 विस्वा 18 विस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आजट प्लान अनुमोदन।  
 आवेदक :— श्री मांगीलाल पुत्र श्री जसाराम, श्री बीरमाराम पुत्र श्री उम्मेदराम।  
 प्रकरण संख्या 172/14

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा नम्बर 100 की रकवा 01 बीघा 100 विस्वा 18 विस्वांसी भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर मास्टर प्लान में प्रस्तावित 60' चौड़ी सड़क के उत्तर दिशा में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि के पूर्वी भाग में पूर्ववर्ती योजना मानचित्रों में अनुमोदित 60' चौड़ी सड़क स्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का एकल पट्टा विलेख प्रदत्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रेषित ले-आजट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अभीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आजट प्लान का नगर नियोजन सहायक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

*3/1/2*

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप मास्टर प्लान में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि एवं पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने आवश्यक भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर प्रस्तावित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

40. राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 9/7 की रकवा 2 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :— श्रीमती शावाना एवं श्रीमती जरीना।

प्रकरण संख्या 105/14

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 9/7 की रकवा 2 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर मास्टर प्लान में प्रस्तावित 80' चौड़ी सड़क के पूर्व दिशा में स्थित हैं। प्रेषित ले—आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले—आऊट प्लान का नगर नियोजन सहायक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप मास्टर प्लान में प्रस्तावित 80' चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर प्रस्तावित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

3/2

41. राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 636, 637, 638, 640, 665, 651, 652, 653, 678 व 685 की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :- गार्ड पत्रावली

जोधपुर मास्टर प्लान-2023 के अनुसार राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 636, 637, 638, 640, 665, 651, 652, 653, 678 व 685 की भूमि परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। जोधपुर रीजन मास्टर विकास योजना-2031 (प्रारूप) का प्रकाशन किया जा चुका है।

उपरोक्त तथ्य के सम्बन्धित द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

42. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 775/78 की रकवा 7 बीघा 19 विस्ता 2 विस्वांसी भूमि पर शुप हाऊसिंग योजना हेतु योजना मानचित्र अनुमोदन के सम्बन्ध में।  
आवेदक :- उपायुक्त (दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 775/79 की रकवा 11.08 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 775/77 की 10.05 बीघा भूमि पर उपर्युक्त विलेख प्रदत्त किये गये थे। उक्त खसरान की भूमि पर पूर्ण रूप से आबादी वस चुकी है। उक्त खसरान की भूमि की समीपीय भूमि राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 775/78 की रकवा 7 बीघा 19 विस्ता 2 विस्वांसी भूमि राजकीय मार्ग की राजकीय भूमि है। कर्तिपय लोगों ने राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 775/77 व खसरा नम्बर 775/79 की भूमि के साथ खसरा नम्बर 775/78 की भूमि प्रकरण राज्य सरकार को प्रेपित किया गया था। प्रकरण टाइनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.1(14)नविवि/जोधपुर/2014 जयपुर, दिनांक 06.06.2014 द्वारा प्राधिकरण के हित में योजना बनाये जाने हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

निदेशक (आयोजना) द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 775/78 की रकवा 7 बीघा 19 विस्ता 2 विस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान-2023 के भू-उपयोग प्रस्तावों के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उक्त भूमि शोभावतों की ढाणी से खेमें का कुँआ जाने वाली सड़क के पूर्व दिशा में स्थित है। पूर्ववर्ती अनुमोदित योजनाओं में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 60' निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव भूमि की समीपीय भूमियों पर सम्पूर्ण रूप से आवासीय विकास हो चुका है एवं मौके पर आवासीय गतिविधिया संचालित है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 775/78 की रकवा 7 बीघा 19 विस्ता 2 विस्वांसी भूमि पर प्राधिकरण की आवासीय (शुप हाऊसिंग) योजना हेतु योजना मानचित्र स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप में है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं उसी अनुरूप सैट बैंक, आच्छादित क्षेत्र, ऊचाई एवं

अन्य मानदण्ड निर्धारित किये जायेंगे। उक्त भूखण्ड का निस्तारण नीलामी के माध्यम से किया जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भविष्य में समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले योजना मानविक्रो को समिति द्वारा किये गये संशोधनानुसार अन्तिम रूप से चार प्रतियों में निदेशक (आयोजना) एवं सम्बन्धित उपायुक्त के संयुक्त हस्ताक्षरों के उपरान्त जारी किये जावेंगे। उक्त चार प्रतियों में से एक प्रति कार्यालय की मानविक्र शाखा में, एक प्रति आयोजना शाखा की पत्रावली में, एक प्रति गार्ड पत्रावली में एवं एक प्रति प्रार्थी को जारी की जावेगी।

31/07/2014  
निदेशक (आयोजना) 4,8-14  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर।

आयुक्त  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर।